

**राजस्थान सरकार**  
**प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग**  
**(अनुभाग-1)**

क्रमांक- एफकेए ( )डी आर ए पी / ई.ओ.डी.सी / एल.ए.ए-1 / 2017

जयपुर दिनांक 09.2017

**अधिसूचना**

दिनांक 09.08.2017

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 1 प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी में वर्णित सेवाओं, जिन पर उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे व उन के संबंध में सेवा प्रदान करने की नियत समय सीमा, पदाभिहित अधिकारी व उनकी सहायता करने वाले सहायक पदाभिहित कारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी अधिसूचित करती है, अर्थात:-

विभाग	विधेयक की धारा 3 की परिधि में ली गई सेवा		सेवा का विवरण	सेवा प्रदान करने की समयावधि	पदाभिहित अधिकारी	सहायक पदाभिहित अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपील प्राधिकारी	विशेष टिप्पणी, यदि कोई हो।
	क्र. सं.	क्र. सं.							
उपभोक्ता मामले विभाग राज0 (विधिक मापविज्ञान)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1.	विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 एवं इसके अन्तर्गत बने नियमों के तहत. विनिर्माता / व्यवहारी / मरम्मतकर्ता का अनुज्ञापत्र तथा पैकर पंजीयन	7 दिन	निरीक्षक / सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान	उप नियंत्रक विधिक माप विज्ञान	सयुक्त नियंत्रक / अतिरिक्त नियंत्रक विधिक मापविज्ञान	नियंत्रक विधिक मापविज्ञान	